



# भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-1, सीपीएसई  
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)

Miniratna Category-1, CPSE  
(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/344/14/487  
SPMCIL/VIG/344/14/

दिनांक 24.04.2018  
Date 24.04.2018

## परिपत्र संख्या 02/18/Circular No. 02/18

**विषय/Sub:-** सैम्पल के निरीक्षण के दौरान पाई गई विसंगतियों के संदर्भ में//Irregularities found during testing of samples – reg.

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा एक इकाई में तकनीकी परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि निविदा दस्तावेज में विस्तारित तकनीकी विशिष्टताओं के पैरामीटर में से किसी एक से मेल नहीं खाए जाने के बाद भी सामग्री स्वीकार की गई थी।

During Intensive Examination by CVC in one of the units, Central Vigilance Commission observed that the material was accepted even after the samples was not matching one of the parameter of technical specifications elaborated in tender document.

2. सक्षम प्राधिकारी ने इन अनियमितताओं को गंभीरता से लिया है। इस संदर्भ में, सभी संबंधितों को एतद् द्वारा निम्नलिखित को सुनिश्चित करने एवं भविष्य में इन विसंगतियों की पुनवृत्ति ना करने सलाह दी जाती है:-

2. Competent authority has viewed the above lapses seriously. In this regard, all concerned are hereby advised to ensure the following and not to repeat these lapses in future:-

क) प्राप्त सामग्री निविदा विनिर्देशों के अनुसार है/ Material received is as per tender specifications

ख) उचित नमूनाकरण और गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रक्रिया का पालन किया जाता है/ Procedure for appropriate sampling and quality testing is followed.

ग) संतोषजनक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामग्री स्वीकार की जाती है/ Material is accepted on receipt of satisfactory test report.

-पृष्ठ संख्या 2 पर जारी - /-Contd. at Page 2-

S Behar  
24/04/18

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/344/14/ ५४७  
SPMCIL/VIG/344/14/

दिनांक 24.04.2018  
Date 24.04.2018

-2-

3. इस परिपत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की वेबसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।
3. The widest possible publicity should be given to this circular and all concerned should be informed. It should also be uploaded on the website of the unit & displayed on the sectional notice board.
4. इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।
4. This issues with the approval of Competent Authority.

*Shashibhushan*  
24/04/18

(शशिभूषण बेहेरा)/(Shashibhushan behera)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/Dy. CVO

महाप्रबंधक/The General Manager,  
टकसाल/मुद्रणालय/कागज़ कारखाना/Mints/Presses/Paper Mill,  
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./SPMCIL.

**प्रतिलिपि/CC:**

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक//CMD.
2. मु.स.अ./निदेशक (तकनीकी/मा.स./वित्त)/CVO/Director (Tech/HR/Fin).
3. अपर महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/मुख्य प्रबंधक/प्रबंधक (नि.मु.)/  
AGM/DGM/CM/Mgrs (CHO).
4. सभी सतर्कता अधिकारी/All Vigilance Officials.
5. सूचना पटल एवं वेबसाइट/Notice Board & Website.